(41)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2979–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 17–8–2016 पारित द्वारा तहसीलदार, सांवेर प्रकरण कमांक 102/अ–6/12–13.

सुरेशचन्द्र पिता रतनसिंह
निवासी ग्राम राजोदा
तहसील सांवेर जिला इन्दौर
हाल मुकाम ग्राम मुण्डला जेतकरन
तहसील व जिला इन्दौर .....आवेदक

विरूद्ध

1– मेसर्स रामा फास्फेट्स लिमिटेड
(अ) रजिस्टर्ड ऑफिस 8/2, राहेजा चेम्बर्स
नरीमन पाईंट, मुम्बई
(ब) कारपोरेट ऑफिस
100, चेतक सेन्टर आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर
(स) उत्पादन इकाई मेसर्स रामा फास्फेट्स ग्राम राजोदा
तहसील सांवेर जिला इन्दौर
2– तहसीलदार, तहसील सांवेर जिला इन्दौर .....अनावेदकगण

श्री एस0के0 गंगवाल, अभिभाषक, आवेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/17 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, सांवेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि तहसीलदार, सांवेर के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा संहिता की धारा 109, 110 के अंतर्गत ग्राम राजोदा तहसील सांवेर जिला इन्दौर स्थित भूमि सर्वे कमांक 381/4 रकबा 0.960 हेक्टेयर पंजीकृत पंजीकृत विकय पत्र

के माध्यम से कय किये जाने के आधार पर नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण कमांक 102/अ–6/2012–13 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक द्वारा साक्ष्य का अवसर दिये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 17–8–2016 को आदेश पारित कर आवेदक का आवेदन पत्र निरस्त किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के सूचना उपरांत भी अनुपस्थित रहने के कारण उसके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है । अतः प्रकरण का निराकरण निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में किया जा रहा है । निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) तहसील न्यायालय द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर समाप्त करने में पूर्णतः अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) तहसील न्यायालय द्वारा यदि बिना आवेदक का साक्ष्य लिये आदेश पारित किया जाता है तो आवेदक के विरूद्ध अन्याय होने की पूर्ण संभावना है ।

(3) अनावेदक कमांक 1 द्वारा भूमि कय करते समय यह कहा गया था कि वे 10 लाख रूपये विकय प्रतिफल अलग से देंगे, परन्तु इसका उल्लेख विकय पत्र में नहीं करेंगे । इस आधार पर कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा आवेदक के सीधेपन का फायदा उठाकर अवैधानिक विकय पत्र निष्पादित कराया गया है, जिसके आधार पर नामांतरण नहीं किया जा सकता है ।

(4) आवेदक द्वारा कथित विकय पत्र को शून्य घोषित करने हेतु व्यवहार वाद प्रस्तुत किया गया है, जो वाद कमांक 3ए/2014 पंजीबद्ध हुआ है । अतः व्यवहार न्यायालय से व्यवहार वाद के निराकरण होने तक तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण की कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए थी । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु समुचित अवसर दिये जाने के बाद भी आवेदक की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है । ऐसी स्थिति में तहसीलदार द्वारा आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई

है । उनके द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

6/ आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में उल्लिखित आधारों एवं अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार के प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक का साक्ष्य का अवसर समाप्त किया गया है, जबकि न्यायहित में उन्हें आवेदक को साक्ष्य का अवसर उपलब्ध कराया जाना चाहिए था । अतः तहसीलदार का आदेश न्यायहित में निरस्त किये जाने योग्य है ।

7/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, सांवेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 17–8–2016 निरस्त करते हुए प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे न्यायहित में आवेदक को साक्ष्य का एक अवसर उपलब्ध कराते हुए प्रकरण का गुण–दोष पर निराकरण करें ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर